न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री टी टी शर्मा , आरएएस

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
32/18	एफएसएसए एक्ट, 2006	04/07/2018

1. देवेन्द्र मीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ,कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, भरतपुर जोन-भरतपुर। –आवेदक

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रहलाद गुप्ता उम्र 48 वर्ष जाति महाजन –एफबीओ व मौके पर विक्रेता-फर्म-गौरव एन्टरप्राईजेज , पुरानी अनाज मन्डी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर ,निवासी शंकर गेट नहर रोड गंगापुर सिटी ।
2. ममता अग्रवाल पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता जाति महाजन –एफबीओ व प्रोपराईटर-फर्म-गौरव एन्टरप्राईजेज पुरानी अनाज मन्डी गंगापुर सिटी निवासी शंकर गेट ,नहर रोड गंगापुर सिटी।(हाजर)

–अभियुक्तगण

वाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएसए एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक– 29.05.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 06/07/2017 को समय 01:30 पी0एम पर फर्म–गौरव एन्टरप्राईजेज ,पुरानी अनाज मन्डी गंगापुर सिटी पर पहुँचा वहां पर निरिक्षण के समय राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री प्रहलाद गुप्ता उम्र 48 वर्ष जाति महाजन मौजूद था को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं राजेन्द्र कुमार गुप्ता ने स्वयं को फर्म पर विक्रेता एवं ममता अग्रवाल पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता को फर्म का मालिक होना बताया। विक्रेता ने अपनी दुकान पर स्वीटेन्ड कारबोनेटेड वाटर (Moz Green Lemon) ,नमकीन, बिस्कुट व अन्य खाद्य सामग्री आम जनता के विक्रय करता है। आवेदक द्वारा निरिक्षण के समय दुकान के काउन्टर पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य वस्तु स्वीटेन्ड कारबोनेटेड वाटर (Moz Green Lemon) 250 एम0एल0 पैक बोटल एक ही बैच के 24–24 बोटल के 7 पैक रखी हुये थे का निरिक्षण करने पर उसमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता राजेन्द्र कुमार गुप्ता से उस स्वीटेन्ड कारबोनेटेड वाटर (Moz Green Lemon) पैक बोटल का शुद्धता एवं लेबल की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ पदार्थ स्वीटेन्ड कारबोनेटेड वाटर (Moz Green Lemon) 250 एम.एल. के 2 पैक यानि 48 बोटल शुद्धता एवं लेबल की जांच हेतु नमूना लेने बाबत खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 312/–रू0 नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये तत्पश्चात् नमूने की कार्यवाही पूर्ण करते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं0 6 की छ प्रतियां तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिसे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नं0 6की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द सैट एक आउटर कवर मे लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक लिफाफे में सील मोहर कर ,आउटर कवर में सील बन्द सैट व फार्म नं0 6 का सील बन्द लिफाफा पुरषोत्तमलाल वार्ड बॉय कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी गंगापुर सिटी के द्वारा दिनांक 07/07/2017 को खाद्य विशलेषक जयपुर (राजस्थान) के यहां जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति डी0ओ0 संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन भरतपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन भरतपुर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/2833–34 दिनांक 03.08.2017 के द्वारा उक्त नमूने की खाद्य विशलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस/1564/एक्ट/2017/1625 दिनांक 09.07.2017 खाद्य कारोबारकर्ताओं को रजिस्टर्ड डाक से भेजते हुये एक प्रति आवेदक को दी जिसके अनुसार उक्त खाद्य वस्तु मावा स्वीटेन्ड कारबोनेटेड वाटर (Moz Green Lemon) 250 एम.एल. पैक का नमूना मिथ्याछाप प्रकृति का पाया गया।

उक्त प्रकरण में खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस/1554/एक्ट/2017/1625 दिनांक 09.07.2017 के अनुसार विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिथ्याछाप प्रकृति के खाद्य पदार्थ सॉफ्टेन्ड कारबोनेटेड वाटर (Moz Green Lemon) 250 एम.एल. पैक का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 52 में में निर्धारित है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित। वकील अभियुक्त ने अभियुक्त सं0 2 मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार अभियुक्त सं0 2 का नाम हटाया किया जाता है। अभियुक्तगण के अधिवक्ता को जबाब/बहस हेतु काफी अवसर प्रदान किये गये। अभियुक्तगण के अधिवक्ता को जबाब/बहस हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करने पर भी अभियुक्तगण के अधिवक्ता न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने पर आवेदक को सुना गया।

हमने आवेदक की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न खाद्य विशलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस/1554/एक्ट/2017/1625 दिनांक 09.07.2017 अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिसब्राण्डेड प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है तथा आवेदक यदि उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं था तो निर्धारित समयावधि में रेफरल प्रयोगशाला में जांच करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता था।पत्रावली में संलग्न फार्म 5 ए में अभियुक्त सं0 1 के हस्ताक्षर अंकित है,साथ ही खरीद बिल दिनांक 06/7/2017 में अभियुक्त सं0 1 स्वयं ने अपने आपको गौरव एन्टरप्राईजेज का मालिक/मैनेजर बताते हुए हस्ताक्षर कर रखे है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं0 1 को 25000 (पच्चीस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...29.05.2024. को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी